

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकदमा मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज०
श्री जीवराज
 किरम मुकदमा क्र० मीनाक्षी नं. 16/2018
V/S S3, 188 R.T.A. 136 C.R.A.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/3/18	<p>वकील वादी उपस्थित। जांच रिपोर्ट हो गयी है। प्रतिवादी सरफा 200 प हेर प्रार्थना पत्र क्र. तर्जित धारा 80(2) CPC को सलोक है। डेनिक एक - याचिका के सुरक्षा रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी गण की तालकी हेर सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 5/5/18 को पेश हो।</p> <p>(सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) राज०</p> <p>20/4/18 प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 6/6/18 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।</p> <p>(सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) राज०</p>	
6/6/18	<p>वाडिया उपस्थित। वाडिया की ओर से वकील श्री सुलीम वाबू ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादी सरफा की ओर से वकील श्री पवन कुमार जीनगर ने वकालत नामा पेश किया शा० मि० रहे। वकील वादी ने प्रार्थना</p>	<p>शा० मि० 6.6.18 जीवराज</p>

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बन्दा
अवकाश
हुकम
जारी हुए

पत्र वारंट बाद विज्ञापन करने का प्रश्न किया व निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में वादिया धार ने वाद प्रस्तुत किया जिससे सटवन से सुवालाल पुत्र में मृतक अंकिश हो गया। उपरोक्त प्रकरण में नया वाद लाने का हक सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र विज्ञापन की अनुमति प्रदान करते उपस्थित प्रतिवादी वकील ने कोई ऐतराज नहीं किया बरस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र वास्तव वाद विज्ञापन स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा नया वाद लाने के हक सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र पर कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश पारित किये जाते हैं। मिसल कैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद दफ्तर दाखिल है।

ह

(सुरेश चावला)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

